

राष्ट्रीय लोक अदालत

(व्यवहार न्यायालय, सुपौल)

एम0भी0 वाद सं0-138/2023

दुलारी देवी

बनाम

एन0आई0सी0 कं0 लि0 वगैरह

दिनांक-09.05.2026

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक एवं विपक्षी सं0-1 बीमा कम्पनी द्वारा संयुक्त राजीनामा आवेदन दाखिल किया गया है, समझौता के अनुसार बीमा कम्पनी आवेदक को एम0भी0 एक्ट की धारा-166,171 के अन्तर्गत मो0-3,00,000/-रुपैया भुगतान करने के लिए राजी हुए। जिसे आवेदक ने लेना स्वीकार किया। वाद सुलह समझौता के आधार पर निष्पादित किया जाता है। बीमा कम्पनी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर चेक/NEFT/RTGS के द्वारा अवार्ड राशी का भुगतान राजीनामा के शर्त के अनुसार करें। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि बीमा कम्पनी को बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध करा दें।

अतः बाद सुलह समझौता के आधार पर निष्पादित किया जाता है। वाद सम्बंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

सदस्य
Behera
09-5-26.

Ray
09/05/2026.
न्यायिक सदस्य